तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
27.8.2020	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 की ओर से श्री बसन्त कुमार एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मूल वादपत्र हो। शेष अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली कोविड-19 संक्रमण के कारण नियत इकजाई पेशी दिनांक 12/11/2020 को पेश हो।
05.01.2021	वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र मिसल तलबी इकजाई तारीख पेश करने पर पत्रावली नियत इकजाई पेशी दिनांक 21.1.2021 से तलब की जाकर आज पेश हुई। हस्तगत प्रा० पत्र से सम्बन्धित मूल वादपत्र वादीगण द्वारा आज विड्रा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रा०पत्र I.A. में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop की जाकर नम्बर से कम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय हो तथा बाद तमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते

08/10/20 वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलबी व ~~नजदीकी~~ शीघ्र सुनवाई पेश होने पर पत्रावली कोविड-19 संक्रमण के कारण नियत इकताही पेशी दिनांक 01/12/2020 से तलब की जाकर आज पेश हुई। प्रतिवादी नं. 1 व 12 की ओर से ~~वकालतनामा~~ इकबाली जवाब पेश हुआ और शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में नजदीकी तारीख पेशी 12/10/2020 नियत की जाती है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/10/2020 को पेश हो

12/10/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। प्रतिवादी सं. 15 ता 18 की तामिल पूर्व में सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजुद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 15 ता 18

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible]	[illegible]

के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक राजीनामा व इकबाली जवाब दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं [illegible] बहस पर गौर मनन किया गया। चूंकि विवादित खातेदारों के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है जिसे न्यायालय रीडर द्वारा [illegible] तस्दीक भी किया जा चुका है एवं प्रतिवादी सं. 1 व 12 द्वारा इकबाली जवाब पेश कर सहमति प्रदान की जा चुकी है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा दिनांकित 01/7/2020 व इकबाली जवाब दिनांकित 08/10/2020 डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 01/7/2020 व इकबाली जवाब दिनांकित 08/10/2020 डिक्री का भाग रहेंगे। मुताबिक राजीनामा दिनांकित 01/7/2020 व इकबाली जवाब 08/10/2020 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/10/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सत्यमेव जयते
खण्डेला (सीकर)